

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांक:-एफ17(8)12/डीईएस/रा.ज.आ.यो./सामान्य/2022/ 595 दिनांक: 18-03-2024

संयुक्त/उप निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं
अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी
जिला कार्यालय समस्त, राजस्थान।

विषय:- 'मृत्यु' के आधार पर जीवित जन आधारधारी मुखिया/सदस्य के हटने पर पुनः जन आधार में जोड़ने बाबत।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिलों से इस प्रकार के प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं कि जन आधार में मृत्यु के आधार पर संबंधित सदस्य के स्थान पर अन्य मुखिया/सदस्य को त्रुटिवश डिलीट करवा दिया जाता है, जबकि डिलीट किया गया सदस्य जीवित है और जीवित सदस्य के डिलीट होने से उसका आधार ब्लॉक हो जाने के कारण यह मुखिया/सदस्य पुनः जन आधार में जुड़ नहीं पा रहा है।

ऐसे प्रकरणों के समाधान हेतु आपकी एसएसओ आई.डी. में "रेजिडेंट रि-एक्टिवेशन" के नाम से ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है जिसका मैन्यूअल संलग्न है। इस ऑप्शन के द्वारा जन आधारधारी मुखिया/सदस्य के त्रुटिवश मृत्यु के आधार पर हटने पर इसको पुनः जन आधार में जोड़ा जा सकेगा।

इस ऑप्शन के उपयोग से पूर्व कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं की सुनिश्चिता कर ली जावें -

1. मुखिया/सदस्य को पुनः जोड़े जाने का आवेदन प्राप्त किया जाना।
2. जोड़े जा रहे मुखिया/सदस्य का स्व-प्रमाणित 'स्व-घोषणा' पत्र संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-अ) में प्राप्त किया जाना।
3. प्राप्त आवेदन व 'स्व-घोषणा' का उक्त ऑप्शन में अपलोड किया जाना।
4. जिस मुखिया/सदस्य को पुनः जन आधार में जोड़ा जा रहा है, उस सदस्य के जीवित होने की पुष्टि हेतु बायोमेट्रिक चिन्ह लेने की डिवाइस की व्यवस्था किया जाना तथा इस डिवाइस का सिस्टम-के साथ उचित कनेक्टिविटी होवें।
5. इस प्रकार जोड़े गये सदस्यों का रिकॉर्ड संधारित किया जाना।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सीताराम स्वरूप)

संयुक्त निदेशक

क्रमांक:-एफ17(8)12/डीईएस/रा.ज.आ.यो./सामान्य/2022/ 596-601 दिनांक: 18-03-2024
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सू.प्रौ. और संचार विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी, समस्त जिलें।
5. एसए/एसीपी, जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी (तकनीकी), समस्त जिलें।
6. वेबसाईट शाखा, मुख्यालय।

Signature valid

Digitally signed by Sitaram Swaroop

Designation: Joint Director

Date: 2024.03.15 18:52:56 IST

Reason: Approver



स्व-घोषणा

मैं, पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... आधार कार्ड संख्या
..... धारक पूर्ण होशोहवास में, बिना किसी नशे-पते
के या जोर जबरदस्ती या दबाव के एवं स्वस्थ चित्त दिमाग से निम्नलिखित घ
घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मेरा नाम त्रुटिवश मृत्यु के आधार पर जन आधार कार्ड संख्या
से दिनांक..... को हट गया है जबकि वास्तविकता में मैं जीवित हूँ।
2. मृत्यु के आधार पर नाम हटने की दिनांक से आज दिनांक
..... तक मेरे या मेरे परिवार के द्वारा मेरी मृत्यु के आधार पर कोई भी
नगद अथवा गैर-नगद लाभ प्राप्त नहीं किया गया है और ना ही इसके लिए
कोई आवेदन किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों में यदि कोई भिन्नता अथवा असत्यता पाई जाती है, तो उसकी
सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

दिनांक:-

स्थान:-

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठा निशानी

Signature valid

RajKaj Ref
6168178

Digitally signed by Sitaram Swaroop
Designation: Joint Director
Date: 2024.03.15/19:52:56 IST
Reason: Approved



RESIDENT RE-ACTIVATION DOCUMENT

1. User will login to their SSO Account and go to the Jan Aadhaar Portal.



2. In Jan Aadhaar Portal, select the **Enrollment** Menu.



3. In Enrollment menu , select the **Resident Re-Activation** sub menu.



Resident Re-Activation

4. User will then enter Aadhaar ID of the concerned citizen and press 'खोजें'.

5. Two grids will be displayed, first grid will show the details of current family HoF and the second grid will show the details of the previously deleted member.

6. User will select the checkbox on the **Deleted Member Description**.

Current Family Description										
क्रम संख्या	संबंध संख्या	मुखिया का नाम	जन्म दिनांक	लिंग	पिता का नाम	माता का नाम	पत्नी का नाम	मुखिया के साथ सम्बन्ध	फोटो	
1	9980-4324-27780	पुष्प देवी	1978-01-01 00:00:00.0	स्त्री	हर राम	राणी	सुर राम चौधरी	सह		

Deleted Member Description														
चयन करें	क्रम संख्या	संबंध संख्या	नाम	जन्म दिनांक	लिंग	पिता का नाम	माता का नाम	पत्नी का नाम	मुखिया के साथ सम्बन्ध	प्रथम साक्षी सम्बन्ध	प्रथम साक्षी सम्बन्ध तिथि	द्वितीय साक्षी सम्बन्ध	द्वितीय साक्षी सम्बन्ध तिथि	फोटो
<input checked="" type="checkbox"/>	1	9980-4324-27780	विन्दु कुमारी	1994-10-10 00:00:00.0	स्त्री	प्रेमचन्द राम	विन्दु देवी	दुर्गा / पुष्प	पुत्र	अज्ञात	03-Nov-2023	अज्ञात	03-Nov-2023	

7. User will select the relation of the deleted member with the current HoF.

परिवार के मुखिया से संबंध*

परिवार के मुखिया से सम्बन्ध

8. Concerned citizen will have to sign the self declaration form to provide his consent for reactivation.

स्व-घोषणा

मैं, _____ पुष्प/पुष्पी श्री _____ निवासी _____ आधार कार्ड संख्या _____ धारक पूर्ण होशोहवास में, जिना किसी बड़े-पते के या और जबरदस्ती या दबाव के एवं स्वस्थ चित्त दिमाग में निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मेरा नाम पुष्पिता मनु के आधार पर जन आधार कार्ड संख्या _____ में दिनांक _____ को हट गया है जबकि वास्तविकता में मैं जीवित हूँ।
2. मनु के आधार पर नाम हटने की दिनांक _____ में आज दिनांक _____ तक मेरे या मेरे परिवार के द्वारा मेरी मनु के आधार पर कोई भी नगद अथवा पैर-नगद लाभ प्राप्त नहीं किया गया है और ना ही इसके लिए कोई अनियत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों में यदि कोई भ्रष्टता अथवा असत्यता पाई जाती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

दिनांक:- _____

स्थान:- _____

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

9. User will then upload the signed copy of self declaration form in the option provided.

स्व-घोषणा पत्रअपलोड करें

Choose File No file chosen

10. A message will be displayed on the screen and user will click on the 'E-KYC AADHAR' button to proceed for the verification of the concerned citizen's Aadhar.

यह आधार मृत सदस्य के साथ जुड़ा हुआ है। अतः यदि सदस्य जीवित है तो कृपया आधार EKYC पूर्ण करें।

E-KYC AADHAR

11. Concerned citizen will be asked to provide his consent for the biometric verification by selecting the checkbox.

XXXXXXXX2746 हिन्दी Eng

फिंगरप्रिंट

मैं एतद्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ अपने आप को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है और मैं आधार आधारित प्रमाणीकरण/ ईकेवाईसी के लिए अपने आधार संख्या, बायोमीट्रिक और/ या ओटीपी प्रदान करने के लिए सहमति देता/ देती हूँ। आधार सिस्टम से मोबाइल नंबर और ईमेल तक पहुंचने के लिए मैं अपनी स्पष्ट सहमति भी देता/ देती हूँ।

दोहरी उंगली प्रमाणीकरण का उपयोग करें।


कैप्चर करें डाउनलोड करें रद्द करें v3

ोपी सेवा के लिए, आधार धारक के पास अपने आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर अ

12. The concerned citizen will then put their finger/thumb on the biometric machine, after successful verification, they will be redirected to the CITIZEN REACTIVATION page.



13. User will select the checkbox to provide consent for the Reactivation of the concerned citizen.
14. If the eKYC of the user is incomplete, they will be asked to complete their eKYC before proceeding any further.
15. User will then proceed for their OTP authentication.



16. User should click on the 'Generate OTP' button.
17. An OTP will be sent to their Jan Aadhaar registered mobile number.

Generate OTP

18. Enter the OTP.

19. Click on the 'Submit' button to validate the OTP.

Generate OTP

Enter OTP:

SUBMIT

20. After successful verification, an alert message will be displayed on the screen stating the successful reactivation of the concerned citizen.